पत्रांक–10 / मार्ग0–11–(बक्सर)–24 / 2013सा0प्र0 1686 /

निबंधित

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

विजय मोहन नागपटनी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

पटना, दिनांक– 6.2.14

विषयः– नई पेंशन अंशदान योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों के सेवानिवृत होने के पश्चात संविदा के आधार पर नियोजन के बिन्दु पर मार्ग निदेश देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–01–1934 दिनांक 13.12.2013 के प्रसंग में कहना है कि नई पेंशन अंशदान योजना के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों के सेवानिवृत होने के पश्चात संविदा के आधार पर नियोजन के बिन्दु याचित मार्गदर्शन के संबंध में निम्नांकित निदेश दिया जाता हैः–

सेवानिवृत कर्मियों के नियोजन के उपरांत उनके पारिश्रमिक / मानदेय के संदर्भ में दिशा–निदेश की माँग आप के द्वारा की गयी है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपके द्वारा किये गये नियोजन के पूर्व इस विभाग की अनुमति प्राप्त की गयी थी अथवा नहीं ? विदित हो कि इस प्रकार के नियोजन के उपरांत नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान एक जटिल समस्या के रूप में उभर सकती है। ऐसी स्थिति में बिना कोई निर्णय के इस प्रकार का नियोजन नहीं किया जाय।

चूँकि नई पेंशन योजना के अधीन आने वाली सेवानिवृत कर्मियों के नियोजन एवं उनके पारिश्रमिक / मानदेय के भुगतान के प्रसंग में अभी कोई निर्णय संसूचित नहीं है। अतः ऐसा नियोजन भी नहीं किया जाना है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–10 / मार्ग0–11–(बक्सर)–24 / 2013सा0प्र0 1686 / पटना–15, दिनांक 6.2.14
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.14
सरकार के अवर सचिव।